न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिरोही राजस्थान
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर.ए.एस.
न्याय आपके द्वार अभियान2018 के तहत रा.लो.अ. केंप कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खाम्बल ।

राजस्व वाद सं.74/2015

वादीगण — बनाम — प्रतिवादीगण

वादीगण:
1–दिनेशकुमार पुत्र स्व.श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क
2– भरतकुमार पुत्र स्व.श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क
3– ओबाराम पुत्र स्व.श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क
4– अचलाराम पुत्र स्व. श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क
5– शारदाकुमारी पुत्री स्व.सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क
6– उषाकुमारी पुत्री स्व0सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क
7– पौनी पत्नि स्व0 सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क
सभी जाति मेघवाल निवासी खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही

प्रतिवादीगण:
1–पकीया उर्फ प्रकाशकुमार पुत्र स्व.जैसाजी उम्र व्यस्क
2– श्रीमति सुकीदेवी पत्नि जैसाजी उम्र व्यस्क
3– तलकाराम पुत्र वेनाजी उम्र उम्र व्यस्क
4– रेवा पुत्र मकआ उर्फ मकाराम
5– नोनू पुत्री मकूआ उर्फ मकाराम
6– वचनाराम पुत्र स्व. नोपाजी सभी उम्र व्यस्क नि0 खाम्बल तहसील व जिला सिरोही
7– स्टेट जरिये तहसीलदार सिरोही

उपस्थित :–
1–प्रार्थी की ओर वकील श्री अशोक पुरोहित
2–अप्रार्थी संख्या 7 स्टेट की ओर से तहसीलदार सिरोही

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राज.काश्त.अधि.1955 के तहत
वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय — दिनांक 23–6–2018

वादीगण संख्या 1 से 7 तक ने जरिये वकील यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 6 तक का वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का इस न्यायालय मे दिनांक 13–8–2015 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने अपने उक्त वादपत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 एवं 4 व 6 की संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि आराजी राजस्व खाता संख्या 331 आई हुई है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

खाता संख्या	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
331	1185	1.2900 हैक्टेयर	बारानी
	1188	0.3300 हैक्टेयर	बंजर

खाता संख्या 331 कुल खसरा 2 कुल रकबा 1.6200 हैक्टेयर

उक्त वर्णित कृषि आराजी खाता संख्या 331 मोजा खाम्बल की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 की प्रमाणित प्रति वास्ते सबूत संलग्न वाद पेश की है। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि अविभाजित है जिसका विभाजन पक्षकारान के मध्य नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 पकीया उर्फ प्रकाशकुमार ने जरिये विक्रय विलेख संख्या 1768 दिनांक 8–5–2015 के वादग्रस्त कृषि भमि मे से 0.324 हैक्टेयर अर्थात 1/5 हक हिस्से का बेचान प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

संख्या 3 तलकाराम के पक्ष मे किया है। वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि मे वादीगण का संयुक्त/अविभाजित 1/5 वां हक हिस्सा,प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/5 वां हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का संयुक्त रूप से 3/5 वां हक हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या एक ने फर्जी व कुटरचित तरीके से उक्त आराजी मे दर्ज उसके विधिक हक हिस्से से अधिक खातेदारी भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 तलकाराम के पक्ष मे किया है। प्रतिवादी संख्या एक पकीया फर्ज प्रकाशकुमार को उक्त आराजी मे 1/5 वां हक हिस्सा बेचान करने का कोई विधिक हक अधिकार हासिल नही था न ही प्रतिवादी संख्या 3 तलकाराम को इस आराजी मे 1/5 वां हक हिस्सा खरीदने का अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 3सर्वथा बाहरी व्यक्ति है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 3का कोई कब्जा अधिकार भौतिक रूप से नही है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मे विभाजन कराये बिना प्रतिवादी संख्या एक को अपनी इच्छा से भूमि के विशेष भाग पर अपना अधिकार जताने का एवं उसे हस्तांतरण करने का कोई विधिक हक अधिकार हासिल नही है। वादीगण का यह वाद प्रतिवादी संख्या एक एवं प्रतिवादी संख्या 3 को इस संयुक्त/अविभाजित कृषि आराजी मे बिना विभाजन एवं 1/5 वॉ हक हिस्से पर प्रवेश से रोकने एवं संयुक्त काश्त मे दखलंदाजी रोकने हेतू उक्त वाद वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने का कारण होने से पेश किया है। साथ ही उक्त आराजी संयुक्त एवं अविभाजित होने से प्रतिवादी संख्या एक को बिना विभाजन के किसी विशिष्ठ भाग को बेचान का विधिक हक अधिकार हासिल नही होने से किया गया बेचान विधि विरूद्व है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 को कोई विधिक हक अधिकार सृजित नही होते है। अतः वादीगण का निवेदन है कि वाद स्वीकार फरमाकर विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 इस आश्य की डिक्री सादिर फरमावें कि वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा संख्या 1185 एवं 1188 मे स्थित 1/5 हक हिस्से पर एवं इस आराजी के विधिक विभाजन से पूर्व प्रवेश करने से रोके जाने हेतू प्रदान करावें

वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त वादपत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित वादग्रगस्त कृषि आराजी मौजा खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित कृषि आराजी खसरा नंबर 1185 रकबा 1.2900 हेक्टेयर किस्म बारानी । व खसरा नंबर 1188 रकबा 0.3300 हेक्टेयर किस्म बंजर जमाबंदी संवत 2066 से 2069 खाता संख्या 331 तथा विक्रय विलेख संख्या दिनांक 5–8–2015 की प्रमाणित प्रतियों का अध्ययन कर उस पर मनन किया तो वादपत्र मे अंकित तथ्यों से न्यायालय प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 13–8–2015 को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 तक को जवाबदावा पेश करने हेतु समन जारी किये गये जिस पर उक्त प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 21–9–2015 को प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से वकील श्री हिम्मतमलजी टेलर तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 6 की ओर से वकील श्री हिम्मतमलजी टेलर ने अलग अलग दो वकालतनामे तथा प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से वकील श्री दिनेश राजपुरोहित ने वकालतनामे अलग अलग पेश करने से शामिल मिसल किये गये । प्रतिवादी संख्या 4 व 5 की ओर से वकील ने जवाबदावा पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया । उक्त जवाबदावा की प्रति वकील वादीगण को उपलब्ध कराई गई ।

प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने अपने उक्त जवाबदावा मे कथन किया कि वादग्रस्त उक्त आराजी मे वादीगण का संयुक्त/अविभाजित 1/5वां हक हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/5 वां हक हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 4 से 6 का 3/5 वां संयुक्त हक हिस्सा है कथन सही एवं सत्य होने से स्वीकार है। पप्रतिवादी संख्या एक ने फर्जी व कुटरचित तरीके से उकत आराजी मे दर्ज उसके विधिक हक हिस्से से अधिक खातेदारी भूमि का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 तलकाराम के पक्ष मे किया है जिसका जवाब है कि प्रतिवादी संख्या एक पकीया उर्फ प्रकाशकुमार को उक्त आराजी मे 1/5वां हक हिस्सा बैचान करने का कोई विधिक हक अधिकार हासिल नही था न ही प्रतिवादी संख्या 3तलकाराम को इस आराजी मे 1/5 वां हक हिस्सा खरीदने का अधिकार हैं। उक्त बेचान दि 5–8–2015 से प्रतिवादी संख्या 3 को कोई

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

विधिक हक अधिकार सृजित नही होते है उक्त बेचान सर्वथा अवैध व प्रारम्भतः शुन्य है। वादग्रस्त आराजी मे प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/5 वां हक हिस्सा बनता है। प्रतिवादी संख्या 3 बाहरी व्यक्ति है कथन सही होने से स्वीकार है। तथा यह कथन भी सही है कि मोके पर प्रतिवादी संख्या 3 का कोई कब्जा अधिकार भौतिक रूप से नही है एवं संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मे विभाजन कराये बिना प्रतिवादी संख्या एक को अपनी इच्छा से भूमि के विशेष भाग पर अपना अधिकार जताने का एवं उसे हस्तान्तरण करने का कोई विधिक हक अधिकार नही है। अतः वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 चाहा गया अनुतोष प्रदान करावें ।

इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 3–1–2017 को प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये वकील जवाबदावा पेश कर कथन किया कि वाद पद संख्या एक का कथन सही है। वाद पद संख्या 2 का कथन गलत होने से अस्वीकार कर कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपसी बंटवाड पूर्व मे हो चुका था एवं मौके पर अपने अपने हक हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। वाद पद संख्या 3 का कथन सही व सत्य होना स्वीकार कर कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि मोके पर काबिज काश्त होने से अपने हक की आराजी का बेचान प्रतिवादी संख्या 3 के पक्ष मे किया है। वाद पद संख्या 4 के सम्बन्ध मे जवाब है कि प्रतिवादी द्वारा अपने हक हिस्से मे आई आराजी का अपना हिस्सा बेचान किया है एवं अपने हिस्से की भूमि से किसी प्रकार का अधिक बेचान नही किया गया है एवं प्रतिवादी को अपना हिस्सा एवं अपने हिस्से मे आई भूमि का बेचान करने का विधिक अधिकार है। वाद पद संख्या 5 के कथन के सम्बन्ध मे निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने अपना हिस्सा 1/5 वां प्रतिवादी संख्या 3 को अपना वैध हक व अधिकार होने से बेचान किया है। वाद संख्या 6 का कथन गलत व मनगढन्त होने से अस्वीकार कर कथन किया कि प्रतिवादी एवं वादीगण के मध्य मौके पर पूर्व से बंटवाड किया हुआ है एवं प्रतिवादीगण ने अपने हक हिस्से पर काबिज होकर प्रतिवादी संख्या 3 को वैध हस्तान्तरण किया है एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 जहॉ काबिज काश्त थे उसी जगह पर प्रतिवादी संख्या 3 को काबिज किया है। प्रतिवादी संख्या एक ने किसी प्रकार का कोई कुटरचित दस्तावेज या फर्जी तरीके से बेचान नही किया है। अतः वादीगण का वाद मय हर्जे खर्चे खारीज करना फरमावें ।

आज दिनांक 23–6–2018 को राज्य सरकार के आदेशानुसार विचाराधीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से विचाराधीन प्रकरण की पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत राजस्व लोक अदालत केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खाम्बल मे मेरे समक्ष पेश हुई । सुनवाई के दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण को केम्प कोर्ट हाजिर होने हेतु नोटिस तामिल होकर प्राप्त होने से शामिल मिसल किये गये । सुनवाई के दौरान वकील वादीगण हाजिर हुये तथा प्रतिवादीगण को नोटिस तामिल होने के बावजूद सुनवाई के दौरान प्रतिवादीगण या उनके वकील कोई हाजिर नही हुये । विचारण प्रकरण मे प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिनांक 3–1–2017 को पारित किये जा चुके है। प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही ने सुनवाई के दौरान निवेदन किया कि विचारण प्रकरण मे स्टेट प्रतिवादी संख्या 7 फोर्मल पक्षकार होने तथा कोई राजहित प्रभावित नही होने से प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाबदावा देने की आवश्यकता नही होने से जवाबदावा बंद कराना फरमावें जिस पर तहसीलदार, सिरोही के निवेदन अनुसार प्रतिवादी संख्या 7 स्टेट का जवाबदावा बंद किया गया । वकील वादीरगण द्वारा विचारण वाद प्रकरण मे अंतिम बहस करते हुये वादपत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 3सर्वथा बाहरी व्यक्ति है। मौके पर प्रतिवादी संख्या 3का कोई कब्जा अधिकार भौतिक रूप से नही है। संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मे विभाजन कराये बिना प्रतिवादी संख्या एक को अपनी इच्छा से भूमि के विशेष भाग पर अपना अधिकार जताने का एवं उसे हस्तांतरण करने का कोई विधिक हक अधिकार हासिल नही है।

सहायक कलेक्टर
सिरोही (राज०)

वादीगण का यह वाद प्रतिवादी संख्या एक एवं प्रतिवादी संख्या 3 को इस संयुक्त/अविभाजित कृषि आराजी मे बिना विभाजन एवं 1/5 वॉ हक हिस्से पर प्रवेश से रोकने एवं संयुक्त काश्त मे दखलंदाजी रोकने हेतू उक्त वाद वास्ते प्राप्त करने स्थाई निषेधाज्ञा का पेश करने का कारण होने से पेश किया है। साथ ही उक्त आराजी संयुक्त एवं अविभाजित होने से प्रतिवादी संख्या एक को बिना विभाजन के किसी विशिष्ठ भाग को बेचान का विधिक हक अधिकार हासिल नही होने से किया गया बेचान विधि विरूद्व है जिससे प्रतिवादी संख्या 3 को कोई विधिक हक अधिकार सृजित नही होते है। अतः वादीगण का निवेदन है कि वाद स्वीकार फरमाकर विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 व 3 इस आश्य की डिक्री सादिर फरमावें कि वादग्रस्त कृषि आराजी खसरा संख्या 1185 एवं 1188 मे स्थित 1/5 हक हिस्से पर एवं इस आराजी के विधिक विभाजन से पूर्व प्रवेश करने से रोके जाने हेतू प्रदान करावें ।

हमने वकील वादी की अंतिम बहस सुनकर उस पर गहनतापूर्वक मनन किया । विचारण प्रकरण की सम्पूर्ण पत्रावली मय वादपत्र व जवाबदावा व राजस्व रेकर्ड प्रतियों का भी गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर भी मनन किया । विचारण सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त यह पाया कि पत्रावली के संलग्न वादग्रस्त कृषि भूमि की जमाबंदी संवत 2066 से 2069 खाता नंबर 331 के खसरा नंबर 1185 रकबा 1.2900 हेक्टेयर एवं खसरा नंबर 1188 रकबा 0.3300 हेक्टेयर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 2 एवं 4 से 6 तक की संयुक्त स्वामित्व एवं कब्जे काश्त की पुश्तैनी कृषि आराजी है। उक्त वादग्रस्त आराजी अविभाजित है जिसका विधिवत बंटवारा नही हुआ है। उक्त संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि मे विभाजन कराये बिनना प्रतिवादी संख्या एक को अपनी इच्छा से भूमि के विशेष भाग पर अपना अधिकार जिताने एवं उसे हस्तान्तरण करने का कोई विधिक हक अधिकार हासिल नही है। उपरोक्त आधार पर वादीगण का यह वाद अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरूद्व प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 के विरूद्व इस आश्य की डिक्री जारी की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को इस स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद भी किया जाता है कि मौजा खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1185 रकबा 1.2900 हैक्टेयर व खसरा नंबर 1188 रकबा 0.3300 हैक्टेयर मे स्थित 1/5 हक हिस्से पर एवं इस आराजी के विधिक विभाजन से पूर्व प्रवेश नही करें। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। ।निर्णय रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खाम्बल मे मजमे आम मे सुनाया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

22/6/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 23–6–2018 को मेरे हस्ताक्षर ,पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

22/6/18
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
सिरोही

डिगरी व मुकदमें ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 67 जाब्ता दिवानी)
सहायक कलेक्टर(उपखण्ड अधिकारी), सिरोही
बईजलास नाथूसिंह राठौड , आर.ए.एस
न्याय आपके द्वार अभियान 2018 के तहत रा.लो.अ. अटल सेवा केन्द्र खाम्बल

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण

राजस्व वाद सं.74/2015

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1–दिनेशकुमार पुत्र स्व.श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क		1–पकीया उर्फ प्रकाशकुमार पुत्र स्व.जैसाजी उम्र व्यस्क
2– भरतकुमार पुत्र स्व.श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क		2– श्रीमति सुकीदेवी पत्नि जैसाजी उम्र व्यस्क
3– ओबाराम पुत्र स्व.श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क		3– तलकाराम पुत्र वेनाजी उम्र उम्र व्यस्क
4– अचलाराम पुत्र स्व. श्री सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क		4– रेवा पुत्र मकआ उर्फ मकाराम
5– शारदाकुमारी पुत्री स्व.सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क		5– नोनू पुत्री मकूआ उर्फ मकाराम
6– उषाकुमारी पुत्री स्व0सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क		6– वचनाराम पुत्र स्व. नोपाजी सभी उम्र व्यस्क नि0 खाम्बल तहसील व जिला सिरोही
7– पौनी पत्नि स्व0 सेतीया उर्फ सेताराम उम्र व्यस्क सभी जाति मेघवाल निवासी खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही		7– स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही

राजस्व वाद अ.धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद स 74/2015

यह मुकदमा रूबरू सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ सिरोही व हाजरी वादी वकील श्री अशोक पुरोहित तथा प्रतिवादी संख्या 6 स्टेट की ओर से तहसीलदार, सिरोही उपस्थित । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त, वादीगण का यह वाद अर्न्तगत धारा 188 आर.टी.एक्ट का विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 ता 6 तक का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 3 को इस आश्य की स्थाई निषेधाज्ञा के जरिये पाबंद किया जाता है कि मौजा खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील सिरोही जिला सिरोही मे स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नंबर 1185 रकबा 1.2900 हेक्टेयर व खसरा नंबर खसरा नंबर 1188 रकबा 0.3300 हेक्टेयर मे स्थित 1/5 हक हिस्से पर एवं इस आराजी के विधिक विभाजन से पूर्व प्रवेश नही करें ।। वाद खर्च पक्षकारान अपना–अपना वहन करें

यह पर्चा डिक्री रा.लो.अ. केम्प कोर्ट अटल सेवा केन्द्र खाम्बल मे न्यायालय हाजा उपस्थित बराब्स मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख 23–6–2018 को जारी किया जाता है ।

मुदाई	रू.	पै.	मुद्दायलाह	रू.	पै.
स्टाम्प अरजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबुत			महन्ताना वकील		
रार्धा गवाहन			खर्चा गवाहान		
फीस कमीश्नर			फीस कमिश्नर		
मुतफरीक			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरीक		
मौजान			मौजान		

23/6/18
सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही
सिरोही (राज०)